

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

सं. ई(जी)2020/सीएल 4-2


नई दिल्ली, दिनांक 17.03.2020

महाप्रबंधक/
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
महाप्रबंधक/पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण)/ कोर,इलाहाबाद/ मेट्रो रेलवे, कोलकाता
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं., महानिदेशक/भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी
निदेशक/सीटीआई

विषय: कोरोना वायरस बीमारी (कोविड-19) का निवारण एवं नियंत्रण।

कोरोना वायरस बीमारी (कोविड-19) को फैलने से रोकने के संरक्षा उपाय के रूप में बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि तत्काल प्रभाव से रेल कार्यालयों/स्थापनाओं के परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों की इन्फ्रारेड थर्मामीटर/गैर संपर्कीय थर्मामीटर के माध्यम से तापमान जांच की जाए।

2. रेल प्रशासन तापमान जांच करने की प्रक्रिया को रे.सु.ब. कर्मियों अथवा इस कार्य के लिए उपयुक्त किसी अन्य कर्मचारी को सौंप सकता है। रेल कार्यालयों/स्थापनाओं के परिसर में प्रवेश करने वाले सभी अधिकारियों/कर्मचारियों/आगंतकों से इस तापमान जांच की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए अनुरोध किया जाए।



(अनिता गौतम)

निदेशक स्थापना (सामान्य)

रेलवे बोर्ड